

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03 / बजट-01-14 / 2026 / / आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:- COVID-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य संसाधन से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के अंतर्गत रु० 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010003 में विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की जिलावार विवरणी निम्नानुसार है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	जिला का अधियाचना पत्रांक/दिनांक	विभागीय पत्रांक 1340/आ0प्र0 दिनांक 04.04.2023 के आलोक में जिले द्वारा प्रतिवेदित मृतकों की संख्या	COVID-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों हेतु राज्य संसाधन से रु० 4.00 लाख प्रति मृतक की दर से आवंटित राशि		
				पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	पटना	804/22.05.2026	1	8.00	4.00	12.00
2	भोजपुर	559/19.05.2026	1	0.00	4.00	4.00
3	पश्चिम चम्पारण	301/09.05.2026	3	0.00	12.00	12.00
कुल			5	8.00	20.00	28.00

- उक्त आवंटन से जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-804 दिनांक-22.05.2026, भोजपुर के पत्रांक-559 दिनांक-19.05.2026 एवं पश्चिम चम्पारण के पत्रांक-301 दिनांक-09.05.2026 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-2098/आ0प्र0 दिनांक-09.06.2021 के आलोक में COVID-19 से मृत व्यक्तियों के परिजन को राज्य संसाधन से रु० 4.00 लाख की दर से भुगतान किया जाएगा।

5. आवंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाएगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि0 (2), दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मो० नदीमुल गफफार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-14/2026/43/आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-01-06-26

प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, पटना, भोजपुर एवं पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/6/26
संयुक्त सचिव